खारीज
30.4.2025

2024/585

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

सरोज आदि बनाम पुष्पादेवी आदि

प्रकरण संख्या 420 वर्ष 2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
30.08.2024	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 30.09.2024 को पेश हो।	
30.9.2024	बुलाए फरीकन उपस्थित/PU गैर हाजिर है। पत्रावली इकतिजार वास्ते तलबी दिनाक 4.12.2024 को पेश हो	
4.12.2024	बुलाए फरीकन उपस्थित/PU गैर हाजिर है। पत्रावली इकतिजार वास्ते तलबी दिनाक 30.1.2025 को पेश हो	
30.1.25	बुलाए फरीकन उपस्थित/PU गैर हाजिर है। पत्रावली इकतिजार वास्ते तलबी दिनाक 4.4.2025 को पेश हो	
04/4/2025	बुलाए फरीकन उपस्थित/PU गैर हाजिर है। पत्रावली इकतिजार वास्ते तलबी दिनाक 10/6/2025 को पेश हो	
30.4.2025	वकील वादी ने प्रार्थना पत्र सिवाल पेशी पेश करते कि प्रतावली को पेशी में लिया जावे। वकील वादी ने निवेदन किया कि वह वाद पत्र आगे नहीं चलाना चाहते है मौखिक [illegible] खारीज करवाना चाहते है [illegible] में खारीज किये जाने की [illegible] नम्बर से काम की जाकर वाद [illegible] जाबता दाखिल दफ्तर हो।	No [illegible] चलाना नहीं चाहते है

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.04.30 20:11:38 IST
Reason: SelfAttested